14/12/2022

पत्रा. पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.।
वादी वकील का दावा आदेश 9
नियम 5 के तहत खारिज किया
जा चुका है। अब यह प्रार्थना
पत्र का कोई औचित्य नहीं
रह जाता है। अतः प्रार्थना-पत्र
212 RTA के तहत खारिज
किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर
नत्थी [illegible] कम की जाकर दाखिल
दफ्तर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Date: 2023.02.13 13:00:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner